

वन विभाग हरियाणा सरकार

कार्यालय:- वन मण्डल अधिकारी, मोरनी पिंजौर वन मण्डल, पिंजौर

वन परिसर पिंजौर, दूरभाष / फैक्स नं० 01733. 230537

E-mail: dfomorni@gmail.com, dfo.pjr-hry@nic.in

क्रमांक: -

496

दिनांक: - 14/6/2016

सेवा में:-

वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल
हरियाणा, पंचकूला।

विषय: -

Diversion of 0.083 Ha of forest land for the development of (100 Kw) Chandimandir Mini Hydro Project on Jhajra Kaushalya and Ghaggar River.

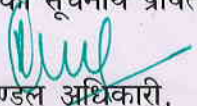
उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में M/s APG Construction #338, Sector 10A, Panchkula Mobile 9915698279 द्वारा तहसील कालका जिला पंचकूला में 0.083 हे० वन भूमि को रास्ता बनाने हेतु वन संरक्षक अधिनियम 1980 के प्रावधान अनुसार वन क्षेत्र को डाईवर्ट करने हेतु प्रस्ताव किया गया था। जिसको पूर्ण करके चार प्रतियों में आपकी सेवा में आवश्यक अनुमति हेतु भेजा जाता है। प्रस्ताव में वन राजिक पंचकूला ने रिपोर्ट की है कि प्रभावित वन क्षेत्र की एवज में क्षतिपूर्ति पौधारोपण बुर्जकाटिया आर 70/सी-5 में पौधारोपण करवाया जायेगा तथा जिसकी जी०पी०एस० रिडिंग N30°43'59.2" E76°56'8.8" है। वन राजिक की रिपोर्ट के अनुसार कोई भी वृक्ष बाधक नहीं है। नवीनतम दैनिक मजदूरी की दरों के अनुसार पौधारोपण योजना बनाई गई है। जिसमें क्षतिपूर्ति पौधारोपण 619744, अतिरिक्त क्षतिपूर्ति 563404 रुपये, सॉयल एंड मोडिफिकेशन चार्ज 185923, भूमि का वर्तमान मूल्य 73621 कुल 1442693 / - रुपये की राशि प्रयोक्ता एजेंसी से ली जानी बनती है। प्रस्ताव को बैब साईट पर डाल दिया गया है जिसका फाईल नं० FP/HR/HYD/19010/2016 है।
संलग्न-उपरोक्त।


वन मण्डल अधिकारी,
क्षेत्रीय मण्डल पिंजौर।

पृ०क०:-

दिनांक:-

एक प्रति मैसर्ज ए०पी० कंसल्टेशन, 338, सैक्टर 10ए, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित है।


वन मण्डल अधिकारी,
क्षेत्रीय मण्डल पिंजौर।